संख्या: 681/2023/1732/पैंतीस-4-2023/35-4099/341/2021

प्रेषक,

डॉ० संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हापुड़।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊ, दिनांक: 22 जून, 2023

विषय: जनपद हापुड़ में वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद हापुड की विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर में शासनादेश संख्या- 396/2021/2270/35-4-2021, दिनांक 07 दिसम्बर, 2021 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 18 कार्यों में से 04 कार्यों (उक्त शासनादेश दिनांक 07 दिसम्बर, 2021 के क्रमांक 7, 8,14 व 17) की अनुमोदित लागत रु0 88.47 लाख पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रु0 60.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी।

2- जिलाधिकारी हापुड़ द्वारा पत्र सं0- 817/जि०अर्थ०सं०अ०/त्व०आ०वि०यो०/2022-23, दिनांक दिनांक 17.03.2023 द्वारा उक्त कार्यों में से 04 कार्यों हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि का पूर्ण व्यय होना इंगित गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 07 दिसम्बर, 2021 से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू0 28.47 लाख (रुपये अट्ठाईस लाख सैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रु० लाख में)

क्र0 सं0	कार्य	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1.	ग्राम झडीना में झडीना शाहपुर मार्ग की तरफ सी०सी०/ टाइल्स/ काली/ सड़क निर्माण।	20.89	15.00	05.89
2.	ग्राम-जनपुरा में प्रा० स्कूल के पीछे जंगल की तरफ बूढे बाबा के मंदिर की तरफ सी० सी०/ टाइल्स/ काली सड़क निर्माण	29.49	15.00	14.49
3.	ग्राम भगवानपुर में कुम्हारी के मोहल्ले से सरकारी स्कूल की तरफ सी० सी०/ टाइल्स/ काली सड़क निर्माण।	22.49	15.00	07.49

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

4.	ग्राम भगवानपुर में गुरुद्वारे से नाला की तरफ सी० सी०/ टाइल्स/ काली सड़क निर्माण।	15.60	15.00	00.60
	योग	**88.47**	**60.00**	**28.47**

1. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 07 दिसम्बर, 2021 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/ डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4. कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/ अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग- 4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ०प्र० में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत बजट के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023- 231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रु0 28.47 लाख (रुपये अट्ठाईस लाख सैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या: 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(डा० संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव ।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या: 681/2023/1732(1)/पैंतीस-4-2023/35-4099/341/2021 तददिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, लोक निर्माण विभाग/ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त ।
5. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव/ विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 |
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल |
8. निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ ।
9. संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग, उ०प्र० |
10. मुख्य विकास अधिकारी, हापुड़ ।
11. मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, हापुड़ ।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 5 |
13. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, हापुड़।
14. अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, हापुड़ ।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा० संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव |

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**